(For **Internal Circulation** Only)

सुप-वॉइस
SUP-VOICE

UNION IS STRENGTH

An Official Publication of SBI Officers' Association, Bhopal Circle, Bhopal

Vol. 02 No. 02 July 2024 to September 2024

egk l fpo % l tho feJk

Please Visit Regularly

Whatsapp : 9630011439
(Please add this number to your phonebook to receive regular updates)

Facebook : sbioabhopal1

e-Mail : sbioabpl@gmail.com

Our Site : www.sbioabhopal.org

Our ASSS Site : www.sbiasssbhopal.com

महासचिव की कलम से

"एकता में शक्ति, बिखराव में विनाश"

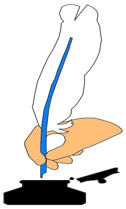

प्रिय कामरेड,

आप को मेरा सादर प्रणाम!

मुझे यह लिखते हुए अत्यंत गर्व और हर्ष हो रहा है कि हम सभी एक अद्वितीय यात्रा का हिस्सा हैं, जहां हम एकता की शक्ति का परिचय देते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। "एकता में ही बल है"—यह कहावत आज के समय में संगठन सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है।

एसोसिएशन के हर सदस्य ने जिस समर्पण और उत्साह के साथ कार्य किया है, वह वाकई सराहनीय है। हमारी सफलता का यही मंत्र है कि "जहां चाह, वहां राह"—हमारी इच्छाशक्ति ने हमें कठिनाइयों को पार करने और नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में प्रेरित किया है। हमारा मिशन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से पूरा होता है। "बूंद-बूंद से सागर भरता है"—इसी भावना के साथ हम एक बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हैं।

आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी SBIOA टीम एवं AIBOC मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ यूनिट एवं हमारे अन्य साथियों के सम्मिलित प्रयासों से संभव हो पाई है।जो की मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशो हेतु एक मिसाल मिशाल बन गई है।

चुनाव के दौरान सर्कल की लगभग हर ब्रांच का दौरा किया गया और आप से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का भरसक प्रयास किया गया। हर एक सदस्य ने अपनी मेहनत, संघर्ष और प्रिय संस्था के प्रति समर्पण का परिचय दिया। यह देखकर बहुत गर्व होता है कि आप हमारी प्रिय संस्था को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। यही समर्पण और ईमानदारी हमें एकजुट करती है और हमें हमारी प्रगति की ओर ले जाती है।

कुछ समय पहले हमारी दो शाखाओं में अनचाही घटनाएं घटित हुईं, जहां हमारे अधिकारी साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिसमे संगठन ने अधिकारी साथियों से कंधे से कन्धा मिलाकर उनका सहयोग किया एवं दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही हेतु स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाया। साथ ही हर उचित प्लेटफोर्म पर साथियों का पक्ष रखा।संगठन इस प्रकार की घटनाओं का पूर्ण विरोध करता है और इसके खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर्कल कार्यकारिणी का मानना है कि हमें "STEPS" का पालन करना चाहिए, न केवल ग्राहकों के साथ बल्कि हमारे साथी कर्मचारियों के साथ भी। यदि हम सभी "STEPS" का पालन करते हैं, तो हम एक सुखद और प्रेरणादायक माहौल बना सकते हैं। कुछ स्थानों पर यह देखने में आया है कि कुछ अधिकारी अपने सहकर्मियों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। यह संगठनात्मक सिद्धांतों के खिलाफ है इस परमपरा को समाप्त किया जाएगा। संगठन एक परिवार है और हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

संगठन की नवीनतम पहल के अंतर्गत, जल्द ही एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, करेंगे जिसमें सभी क्षेत्रो एवं मण्डल के प्रतिनिधियों के साथ आपसे रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल संगठन के उद्देश्यों को साझा करना है, बल्कि आप की चिंताओं और सुझावों को सुनना और उन्हें संगठन की भविष्य की योजनाओं में शामिल करना है। इस कार्यक्रम में आपकी सक्रिय भागीदारी से संगठन की दिशा और मजबूत होगी।

इसके साथ ही, क्षेत्रीय,मॉड्यूल एवम मण्डल पदाधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला(डिफेंस वर्कशॉप)का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें अपने साथियों की मदद के लिए ओर अधिक सक्षम बनाना और संगठन के कल्याण कार्यों को और मजबूती से आगे बढ़ाने में समर्थ बनाना है।

संगठन के सामने कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप की मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए और ऊँचाइयों को प्राप्त करेंगे। "कामयाबी उन्हीं को मिलती है, जिनमें जुनून होता है कुछ कर दिखाने का"—आप का यह जुनून और समर्पण ही हमारी असली ताकत है।

आइए, हम सभी मिलकर अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ें और अपने एसोसिएशन को नई ऊँचाइयों पर ले जाएँ। आप का सहयोग और समर्थन हमेशा प्रेरित करता है और आपसे अनुरोध करते है कि इस ऊर्जा और आत्मविश्वास को बनाए रखें। "मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है"—आपके सपने और आपका समर्थन सामान को हमारी मंजिल तक पहुँचाएंगे।

आप को यह जानकर अच्छा लगेगा कि किसी भी समस्या या कठिनाई में संगठन आपके साथ खड़ा है। आप अपने आप को अकेला न समझें। संगठन आपकी सुरक्षा और तनाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए, हम मिलकर संगठन और संस्था के प्रति समर्पित रहें और चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ें।

हम सब मिलकर कदम बढ़ाएँ,
एकता का दीप जलाएँ।
हर मुश्किल को दूर भगाएँ,
संघ की शक्ति का गुण गाएँ।

हाथ में हाथ थाम चलें,
एकता की राह पकड़े रहें।
साथी का साथी बन जाएँ,
संघ की ताकत दिखलाएँ।

जहाँ मिलें हम सब के दिल,
वहाँ चमके आशा की किरण झिलमिल।
संघ की शक्ति अपार हो,
हर दिल में एकता का सार हो।

धन्यवाद।

सादर
संजीव मिश्रा
महासचिव
SBIOA BHOPAL

ऐसे भी जाता नहीं कोई
रहने को सदा दहर मे आता नही कोई
तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई...

- कैफ़ी आज़मी

श्रद्धांजलि

स्व. श्री सुशील मुर्मू
(उम्र 52 वर्ष)

स्व. श्री प्रकाश कृष्ण राव सोनारे
(उम्र 49 वर्ष)

प्रिय साथियों,

यह बताते हुए हमें गहरा दुःख हो रहा है कि पिछले तीन महीनों के दौरान हमने अपने दो प्रिय साथियों को खो दिया है। स्वर्गीय श्री सुशील मुर्मू (उम्र 52 वर्ष) और स्वर्गीय श्री श्री प्रकाश कृष्ण राव सोनारे (उम्र 49 वर्ष) की असामयिक मृत्यु ने हम सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

इन दुःखद घटनाओं ने हमें यह सिखाया है कि जीवन बहुत अनमोल है और हमें अपने स्वास्थ्य और खुशहाली का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हम अपने कार्यभार के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। समय-समय पर मेडिकल चेकअप कराना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या को समय रहते पहचान सकें और उसका सही उपचार कर सकें।

साथ ही, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे जीवन में एक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी एक टीम के रूप में एक दूसरे का सहयोग करें और अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दें।

आइए, हम अपने साथी सदस्यों की याद में अपनी जीवनशैली में यह महत्वपूर्ण बदलाव करे।

अध्यक्ष एवं महासचिव
भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ भोपाल

जीवन मात्र का कल्याण हो

जीवों के कल्याण और उनके प्रति करुणा का संदेश

प्रेरणादायक सन्देश:

1. "सभी जीवों का कल्याण ही सच्ची सेवा है।"
   - यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम सभी जीव-जंतुओं और प्रकृति का ध्यान रखते हैं, तब ही हमारा जीवन सार्थक होता है।
2. "जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए जीना है।"
   - इस संदेश से यह स्पष्ट होता है कि अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सभी जीवों के लिए काम करना ही मानवता की असली पहचान है।
3. "करुणा और दया ही वो शक्तियां हैं, जो सम्पूर्ण जगत के सुख का मार्ग बनाती हैं।"
   - यह संदेश हमें सिखाता है कि दया और करुणा का व्यवहार हमारे समाज को प्रेम और शांति से भर सकता है।

विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कहे गए प्रेरणादायक उद्धरण:

1. महात्मा गांधी:
   - "प्रकृति हमें उतना देती है जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन जब हम लालच करते हैं, तब विनाश की शुरुआत होती है।"
2. स्वामी विवेकानंद:
   - "प्रत्येक आत्मा दिव्य है। सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना ही धर्म है।"
3. गौतम बुद्ध:
   - "समस्त जीवों पर दया रखो। किसी को भी दुख न पहुंचाओ, और सबके प्रति समान प्रेम रखो।"
4. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम:
   - "धरती पर हर जीवित प्राणी का कल्याण करना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इसी से हमारा अस्तित्व है।"
5. दलाई लामा:
   - "करुणा और प्रेम के बिना शांति की प्राप्ति असंभव है। सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना ही सच्चा धर्म है।"

विशेष सन्देश:

- "प्रकृति और प्राणी मात्र का संरक्षण ही हमारी धरोहर है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने आस-पास के जीव-जंतुओं और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी।"

इन संदेशों और उद्धरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीव मात्र का कल्याण न केवल किसी भी धर्म का हिस्सा है, बल्कि यह एक मानवीय कर्तव्य भी है।

नॉलेज बाइट्स

संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी या ज्ञान के अंश

POINTS TO PONDER
AGRI GOLD LOAN

1. Agriculture land records documents of the borrower, for example Khasra/Khatauni (B1/P2) or Rinn Pustika must be obtained before processing of the loan, wherever land records are digitized the same may be verified online too.
2. The purity of gold should always be independently determined by the Branch Cash Officer. A kit containing Nitric Acid, Touch Stone should always be in the branch to test the purity of the gold.
3. Photograph of all the gold ornaments shall always be taken at the time of processing of the loan, all photograph printouts of the gold ornaments shall be signed by the joint custodians along with borrowers.
4. For upkeep of gold ornaments transparent polythene bags which have multiple openings shall be used in place of cloth bags.
5. Gold ornament(s) to be weighed by the designated official of the branch in all cases. Weighing to be done by the weighing machine provided at the Branch. The weighing machine must be properly calibrated and duly certified by weights & measures Dept. /Certifying Authority.
6. Gold Appraiser fee shall not be paid in cash.
7. Ensure that gold appraiser agreement is not expired and has been reviewed annually (as per PL-62 (i)_Annexure V).
8. Ensure that Valuation report has been obtained in Bank's prescribed format (Annexure – PL-61(i)) and same is also signed by customer.
9. In/out gold loan register to be updated regularly and should contain details like weight of gold, no of gold loan bags etc.
10. The valuation of gold ornaments should be done in the presence of designated Branch staff only.
11. Branches should tally the gold loan bags with the loan balance file at monthly intervals by an officer other the joint custodian.

BY ANSHUL SHARMA (SBILD INDORE)
9926448008

POINTS TO PONDER
AUTO LOAN

1. Identity Proof (PAN/Voter ID/ TAN / TIN / GST Reg. No. etc) and income proof like ITR/Form 16 have been verified online from the respective website.
2. Verification of the business /Profession continuity is done through online verification of TAN/TIN/GSTIN Number, which contains Date of Registration and Address.
3. Always scrutinize CIC reports generated through RLMS only.
4. Proof of Margin money to be scrutinized through statement of account.
5. Project cost includes Ex-showroom price, road tax and insurance only. Other expenses like accessories, extended warranty would not be included in project cost.
6. Depreciation must not be added back to increase eligibility.
7. Ensure to send pre-disbursement intimation to dealer through e-mail.
8. Cross verification of invoice with quotation to ensure that variant and model of car is same.
9. Ensure to verify engine/chassis number in person only with the vehicle at the time of post sanction.
10. Insist for E-KYC verification.
11. Report from Central Fraud Registry website to be generated and kept along with the proposal.
12. Copy of the loan documents and schedule of applicable charges executed by the borrower are delivered to him against acknowledgement.
13. Copy of the FAQs pamphlets regarding Prudential Norms on IRAC and Provisioning are handed over to borrower(s). (Ref. Cir. No. 1362/2021-22 date 31.03.2022)
14. Borrowers with exposure > Rs. 1 lac have been advised about sharing of financial / security data with NeSL-IU U/S 215 of IBC 2016 and applicable annual charges

RAJEEV JAIN
SBILD INDORE
9753499407

POINTS TO PONDER
XPRESS CREDIT LOAN

1. Identity Proof (PAN/Voter ID/Adhar etc) and income proof like ITR/Form 16 must be verified from the respective website.
2. Check employee/employer status in CBS, if it is a tie up under CSP, cross verify with Rainbow Portal "https://sp4rainbow.bank.sbi/
3. Check regular credit of salary in CBS along with channel of credit and branch code. Also check if there is any other regular debit from the account.
4. Always scrutinize CIC reports generated through RLMS only.
5. Ensure to send annexure XP-10 to employer after sanction of loan through registered post only.
6. Office/ Workplace verification under PSS is waived for Defense sector customers, Government sector customers and customers working with whitelisted Corporates subject to submission of documents like Service Certificate, Canteen ID, salary slips downloaded from HRMS/ Salary slip download portal in front of branch official.
7. Insist for E-KYC verification.
8. Report from Central Fraud Registry website to be generated and kept along with the proposal.
9. Copy of the loan documents and schedule of applicable charges executed by the borrower are delivered to him against acknowledgement.
10. Copy of the FAQs pamphlets regarding Prudential Norms on IRAC and Provisioning are handed over to borrower(s). (Ref. Cir. No. 1362/2021-22 date 31.03.2022)
11. Borrowers with exposure > Rs. 1 lac have been advised about sharing of financial / security data with NeSL-IU U/S 215 of IBC 2016 and applicable annual charges.

POOJA KIMTANI BHATIA
SBILD INDORE
7697444405

SBILD INDORE: MY BANK- SIMPLE LEARNING

HOME LOAN DATE :20.09.2024

S. No.	Particulars
1.	Which kind of purposes is a Home Loan sanctioned?
Ans	1. Purchase of Plot/New House/Flat/Existing House 2. Takeover 3. Repairs /Renovation 4. Reimbursement (during preceding 12 months) 5. Purchase of plot and construction thereon 6. Furnishing/interiors as part of project cost.
2.	Whether Home Loan can be sanctioned to Agriculturist ?
Ans	Yes, Home Loan can be sanctioned to Agriculturist whoever has steady Income from Agriculture and Agri Allied Activities.
3.	Mr. Ramesh, a Manager for five years at a private company, is looking to buy a plot and build a house in the future. Being Field Officer advice him suitable product under Home Loan Products ?
Ans	SBI Realty Home Loan
4.	Miss Sujal Rathi runs a private Business and has been filing Income tax returns for the past five years. Her Income as per current financial year as per IT returns is Rs. 15 lacs. Being a RACC Manager, advice her suitable product for purchase of plot ?
Ans	SBI Realty Loan can be sanctioned to Non-Salaried customer but Prior Approval need to be obtained from CPC Head before processing the Loan.
5.	Six months ago, Miss Sruthi built her house using both her own funds and money borrowed from a cousin. As she is in need of money. Being a Branch Manager, advice her suitable Product ?
Ans	Home Loan can be sanctioned to Miss. Sruthi as we will consider Reimbursement of house constructed during preceding 12 months under Home Loan.

Refer :Master . C.No.: NBG/RE,H&HD-HL/40/2023-24 Dated: 11 Jan 2024.

BY: VASANTH KETHAVATH, CHIEF MANAGER

SBILD INDORE: MY BANK-SIMPLE LEARNING

Legal Entity Identifier (LEI) **Date: 24th Sept 2024**

S. No.	Particulars
1.	What is a Legal Entity Identifier (LEI) and what is its purpose?
Ans	The Legal Entity Identifier (LEI) initiative is designed to create a global reference data system that uniquely identifies every legal entity, in any jurisdiction, that is party to a financial transaction. More specifically, LEI is a unique 20-digit alphanumeric code that is assigned to a legal entity.
2.	What are the guidelines specified by RBI for Legal Entities with exposure above Rs.10 crores?
Ans	As per RBI guidelines presently, it covers all borrowing units with an exposure of Rs.50 crores and above, from the entire banking system (even if our share exposure is less than 50 crores), **Timeline for obtaining LEI for Legal Entities with exposure:** Above Rs.25 crores-Rs.50 crores is 30th April 2023, & for Legal Entities with exposure Above Rs.10 crores-Rs.25 crores is 30th April 2024
3.	What is the deadline for Legal Entities with an exposure exceeding Rs. 5 crores but less than Rs. 10 crores to obtain the LEI code as per RBI guidelines?
Ans	30th April 2025
4.	As per RBI guidelines, what is the specified timeline for Legal Entities with an exposure limit above Rs. 10 crores to obtain the LEI code, and what are the consequences if they fail to do so?
Ans	The RBI has stated that borrowers who do not obtain LEI codes from an authorized Local Operating Unit (LOU) will be ineligible for new exposure sanctions as well as for renewals or enhancements of existing exposures.
5.	Which agency is responsible for issuing LEI codes in India?
Ans	LEIIL (Legal Entity Identifier India Ltd), the LEI issuing agency in India and subsidiary of Clearing Corporation of India Limited (CCIL).

Refer: LEI Circular Dated: 12.03.2024

By: Vasanth Kethavath, Chief Manager faculty, SBILD, Indore

SBILD INDORE: MY BANK- SIMPLE LEARNING

Priority Sector Lending DATE :21.09.2024

S. No.	Particulars
1.	The total target that Domestic Commercial Banks are expected to lend to Agriculture Segment under Priority Sector Lending (PSL)?
Ans	18 percent of ANBC or CEOBE, whichever is higher.
2.	Total target under Priority Sector Lending for Foreign Banks with less than 20 Branches for Agriculture Credit?
Ans	There is No PSL target under Agriculture Credit for Foreign Banks with less than 20 Branches.
3.	Madhya Pradesh Kshetra Bank is a Regional Rural Bank spread across 6 Districts, what is PSL target for RRBs for Loans sanctioned to Weaker Sections ?
Ans	15 percent of ANBC or CEOBE, whichever is higher.
4.	Total target under Priority Sector Lending for Micro Enterprises for Foreign Banks with 20 Branches and above?
Ans	7.5 percent of ANBC or CEOBE, whichever is higher.
5.	Mr. Rajanna is a Large farmer has availed Rs.45 lacs Loan against Pledge of National Warehouse Receipt for 12 months. How much amount of this Loan is considered under PSL ?
Ans	The entire amount is considered under PSL because the maximum limit considered under PSL upto Loan Limit of Rs.75 lacs against National Warehouse Receipts.

ANBC = Adjusted Net Bank Credit

CEOBE = Credit Equivalent of Off-Balance Sheet Exposures

Refer :PSL Circular Dated: 19.08.2024

BY: VASANTH KETHAVATH, CHIEF MANAGER

संगठन (AIBOC/AISBOF) की पत्रिकाओं/सर्कुलरों का सारांश

संगठन द्वारा जारी पत्रिकाओं और सर्कुलरों का सारांश और मुख्य बिंदु।

1. **संपादकीय दृष्टिकोण**

- दस्तावेज़ का संपादकीय हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि बैंकिंग प्रणाली का आधार जनता का विश्वास है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस विश्वास की बुनियाद पर काम करना चाहिए, क्योंकि वे देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। AIBOC (ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन) ने हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महत्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है, विशेष रूप से उन कार्यो के खिलाफ जो निजीकरण और उदारीकरण की दिशा में ले जाते हैं।
- AIBOC ने देश की आर्थिक स्थिरता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महत्व पर जोर दिया है। जब सरकार ने वैश्विक संस्थानों जैसे विश्व बैंक और IMF के निर्देशों के तहत बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाने की कोशिश की, तो AIBOC ने इस बदलाव का विरोध किया और विभिन्न हितधारकों को संगठित किया। इसके तहत, उन्होंने विशेष रूप से वित्तीय समाधान और जमा बीमा (FRDI) विधेयक की आलोचनात्मक समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजीकरण के दबावों के सामने टिके रहें।

2. **बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियाँ**

- ब्याज दरें और ऋण असमानताएँ: दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण मिलता है, जबकि किसानों, MSMEs, पेंशनरों, और अन्य छोटे उधारकर्ताओं को बहुत अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। यह आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है और छोटे व्यवसायों और कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंचाता है।
- बढ़ते एनपीए और ऋण लिखतियाँ: 2014-15 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में 1.6 गुना वृद्धि हुई है। दस्तावेज़ में बताया गया है कि बड़े पैमाने पर ऋणों को अपलिखित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप छोटे उधारकर्ताओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि और MSMEs के लिए ऋण की उपलब्धता कम हो गई है। इन बड़े ऋणों को बैंक की बैलेंस शीट से हटाने के लिए अपलिखित करने से केवल कागजी लाभ हुआ है, लेकिन वास्तविक आर्थिक संकट बना हुआ है।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना: दस्तावेज़ में बताया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रशंसा में अक्सर उनकी वास्तविक स्थिति को अनदेखा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिनके पास सामाजिक जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा होता है, अक्सर स्टाफ की कमी और संसाधनों की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करते हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करनी पड़ती हैं, और सरकारी योजनानाओ आप तक पहुचना पड़ता ही है।

3. **बैंकिंग सुधारों के लिए सिफारिशें**

- ब्याज दरें: दस्तावेज़ में सुझाव दिया गया है कि बचत खातों पर ब्याज दर 5% होनी चाहिए और 2 साल से अधिक की सावधि जमा पर 10% तक ब्याज दिया जाना चाहिए। यह उन छोटे जमाकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा, जो बैंकिंग प्रणाली के असली लाभार्थी हैं।
- छोटे ऋण: छोटे ऋणों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी सख्ती से निगरानी की सिफारिश की गई है। कमजोर वर्गों के लिए 4% साधारण ब्याज दर पर ऋण देने की योजना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सस्ते दरों पर ऋण देने पर रोक लगानी चाहिए, और आरबीआई के निर्णय को लागू करना चाहिए कि किसी एक कॉर्पोरेट को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 10,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL): दस्तावेज़ में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को 50% तक बढ़ाने और इसके तहत छोटे उधारकर्ताओं के लिए उप-लक्ष्य निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 18% ऋण केवल प्रत्यक्ष कृषि ऋण के लिए ही होना चाहिए, ताकि किसान और छोटे उधारकर्ता इसका लाभ उठा सकें।
- कर्मचारी निदेशक नियुक्ति: दस्तावेज़ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है, ताकि कर्मचारियों की प्रबंधन में सहभागिता सुनिश्चित हो और बोर्ड स्तर पर निगरानी हो सके।
- स्टाफिंग में सुधार: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टाफ की संख्या को दोगुना करने की सिफारिश की गई है, ताकि ग्राहक सेवा में सुधार हो और बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके। इसके साथ ही, आरक्षण नीति का सख्ती से पालन करने की भी आवश्यकता है।
- विकास बैंक की पुनः स्थापना: दस्तावेज़ में विकास बैंक की पुनः स्थापना की सिफारिश की गई है, ताकि व्यावसायिक बैंक जोखिम भरे विकास वित्त में न उलझें और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर इसका दबाव न पड़े।
- निजीकरण का विरोध: दस्तावेज़ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का कड़ा विरोध किया गया है, क्योंकि इससे जनता का विश्वास कम हो सकता है और यह भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। निजीकरण से आरक्षण नीति के तहत भर्ती की गई नौकरियों पर भी असर पड़ेगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ सकती है।

4. **हाल के विकास**

- स्टाफ वाहन ऋण योजना: दस्तावेज़ में बताया गया है कि कर्मचारियों के लिए वाहन ऋण योजना को संशोधित किया गया है, जिसमें नई कार मॉडलों और कर्मचारियों की बढ़ती भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए नई सुविधाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को अब बेहतर सुरक्षा सुविधाओं और पर्यावरणीय मानकों के साथ नई पीढ़ी की उच्च लागत वाली वाहनों की खरीद के लिए अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि की गई है।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना: बैंक ने आयुर्वेदिक उपचार के लिए एक नई प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है, जिसमें पंचकर्म जैसे पारंपरिक उपचार भी शामिल हैं। इस कदम से बैंक ने अपने कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- बैंक राष्ट्रीयकरण की 55वीं वर्षगांठ: दस्तावेज़ में बैंक राष्ट्रीयकरण के 55 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे मनाने का आह्वान

किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें सरकार की निजीकरण रणनीति के खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो कि बैंकों के निजीकरण की AIBOC इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों को शुरू करने का आह्वान करता है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सके और निजीकरण के किसी भी कदम का विरोध किया जा सके।

5. AIBOC की भूमिका और भविष्य की दिशा

- सक्रियता और वकालत: AIBOC निष्पक्ष बैंकिंग प्रथाओं के लिए संघर्ष करता रहेगा, निजीकरण का विरोध करेग और बैंक कर्मचारियों एवं जनता के हितों की रक्षा करेगा। संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीय विकास और वित्तीय समावेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेगे। इसके अलावा, AIBOC उन मुद्दों को उठाने में भी सक्रिय रहेगा जो बैंक कर्मचारियों के कार्यस्थल की स्थिति, वेतन और कार्य-जीवन संतुलन को प्रभावित करते हैं।
- CFA के साथ सहयोग: AIBOC का सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (CFA) के साथ सहयोग जारी रहेगा, ताकि बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जा सके और जनता के हितों की रक्षा की जा सके। दोनों संगठनों ने विमुद्रीकरण, एनपीए, और नियामक बिलों जैसे मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम किया है, और यह सहयोग आगे भी जारी रहेगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रति प्रतिबद्धता: AIBOC ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह संगठन सुनिश्चित करेगा कि इन बैंकों की भूमिका राष्ट्रीय विकास और वित्तीय समावेशन में बरकरार रहे। इसके लिए संगठन विभिन्न स्तरों पर जागरूकता फैलाने और सरकारी नीतियों में सुधार के लिए काम करेगा।

यह दस्तावेज़ AIBOC और CFA के सहयोग से बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सुधारने के लिए कई सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

1. संपादकीय परिचय

- बैंकिंग उद्योग में घरेलू जांच एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
- यह प्रक्रिया कानूनी, प्रक्रियात्मक और नैतिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण होती है।
- रक्षात्मक प्रतिनिधि (Defence Representatives) का कार्य इस प्रक्रिया में न केवल सहायक होना है बल्कि निष्पक्षता और न्याय की रक्षा करना भी है।

2. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार: आरोपित व्यक्ति को निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई का अधिकार होता है।
- पक्षपात से मुक्त निर्णय: निर्णय बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए।
- रक्षात्मक सहायता का अधिकार: आरोपित अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके।

3. **रक्षात्मक प्रतिनिधियों का चयन और उनकी भूमिका**

- सही प्रतिनिधि का चयन: प्रतिनिधि का चयन महत्वपूर्ण होता है; इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि चयनित व्यक्ति कानून और प्रक्रिया की अच्छी समझ रखता हो।
- साक्ष्यों का विश्लेषण: रक्षात्मक प्रतिनिधि को आरोपों और साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करना चाहिए।
- मजबूत तर्क प्रस्तुत करना: प्रतिनिधि का कार्य आरोपों के खिलाफ मजबूत तर्क प्रस्तुत करना और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों का सही उपयोग करना होता है।

4. **अधिकारियों का संघ: एक सहायक सहयोगी**

- संघ की भूमिका: अधिकारियों का संघ अपने सदस्यों की रक्षा करता है और उन्हें घरेलू जांच के दौरान समर्थन प्रदान करता है।
- सदस्यता की शर्तें: सदस्यता शुल्क का भुगतान और संघ की गतिविधियों में भागीदारी संघ के समर्थन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- न्याय की दिशा: संघ के प्रतिनिधियों का कार्य न्याय की दिशा में काम करना और आरोपित सदस्य को निष्पक्षता के साथ मार्गदर्शन करना होता है।

5. **प्रशिक्षण और शोध का महत्व**

- NATURE की भूमिका: नेशनल एकेडमी ऑफ ट्रेड यूनियन रिसर्च एंड एजुकेशन (NATURE) रक्षात्मक प्रतिनिधियों के कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: NATURE द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिनिधियों को घरेलू जांच की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और तकनीकी दक्षता प्रदान करते हैं।
- कैडर विकास: NATURE का उद्देश्य रक्षात्मक प्रतिनिधियों का कैडर विकसित करना और उन्हें संगठनात्मक न्याय सुनिश्चित करने के लिए तैयार करना है।

6. **मजबूत रक्षात्मक रणनीति का निर्माण**

- बैंकिंग नियमों की समझ: प्रभावी रक्षात्मक रणनीति के लिए बैंकिंग व्यवसायों और नियमों की गहन समझ आवश्यक है।
- साक्ष्य संग्रह और विश्लेषण: रक्षात्मक प्रतिनिधि को जांच प्रक्रिया के दौरान साक्ष्यों का संग्रह और उनका विश्लेषण करना चाहिए।
- तर्क प्रस्तुत करने की रणनीति: प्रतिनिधि को अपने तर्कों को सटीक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि आरोपित व्यक्ति की रक्षा हो सके।

7. **न्याय के सिद्धांतों का पालन**

- प्राकृतिक न्याय की रक्षा: रक्षात्मक प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना होता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है।
- प्रबंधन के आरोपों का सामना: प्रतिनिधि को साक्ष्य और क्रॉस-एग्जामिनेशन के माध्यम से प्रबंधन के आरोपों का सामना करना चाहिए।

- निष्पक्षता की रक्षा: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरोपित व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उसे एक निष्पक्ष जांच प्रक्रिया मिले।

8. निष्कर्ष

- निष्पक्षता के संरक्षक: रक्षात्मक प्रतिनिधि घरेलू जांच में निष्पक्षता और न्याय के संरक्षक होते हैं।
- सत्य की खोज: उनका मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज करना और आरोपों के निष्पक्ष समाधान को सुनिश्चित करना होता है।
- न्याय की स्थापना: प्रतिनिधि का कार्य केवल आरोपित व्यक्ति का बचाव करना नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर न्याय की स्थापना करना भी है।

एक अन्य पत्रिका :-

1. संपादकीय परिचय

- AIBOC की भूमिका: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में सबसे आगे रहा है।
- राष्ट्रीयकरण की 55वीं वर्षगांठ: बैंक राष्ट्रीयकरण की 55वीं वर्षगांठ पर AIBOC ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महत्व को रेखांकित किया, खासकर 2008 के वैश्विक आर्थिक मंदी और 2021 की महामारी के दौरान उनके योगदान को।
- निजीकरण का विरोध: दस्तावेज़ में निजीकरण के प्रयासों को गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन, और समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच बढ़ाने के मूल विचारों के खिलाफ बताया गया है।

2. AIBOC की 13वीं त्रैवार्षिक महासभा (गुवाहाटी)

- समारोह की शुरुआत: 7 से 9 जुलाई, 2024 तक गुवाहाटी में आयोजित महासभा का आरंभ एक बड़े एकता मार्च के साथ हुआ, जिसमें बैंकिंग ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता और शक्ति को प्रदर्शित किया गया।
- सम्मानित व्यक्तित्व: कार्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें श्री टी टी राम मोहन (अर्थशास्त्री), कॉमरेड सी एच वेंकटचलम (AIBEA के महासचिव) और कई अन्य प्रमुख कॉमरेड शामिल थे।
- सांस्कृतिक प्रदर्शन: असम के पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

3. महासभा में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे

- बैंक कर्मचारियों पर शारीरिक हमले: बैंक कर्मियों पर हो रहे हमलों का कड़ा विरोध किया गया।
- समानांतरण नीति: सभी बैंकों के लिए एक समानांतरण नीति की मांग की गई।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई: अनुशासनात्मक कार्रवाई में उच्च अधिकारियों के अत्याचार और असंगत दंड के मुद्दे पर चर्चा की गई।
- केंद्रित कार्य समय: छुट्टियों पर काम करने और देर रात तक काम करने के मुद्दों को उठाया गया।
- परिवारिक जीवन और मानसिक दबाव: कर्मचारियों के परिवारिक जीवन में हो रहे व्यवधान और मानसिक दबाव के मुद्दे पर विचार किया गया।

- भर्ती प्रक्रिया में धीमापन: भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति और कर्मियों के असमान वितरण पर चिंता व्यक्त की गई।

4. महासभा के प्रस्ताव और संकल्प

- 5-दिन का कार्य सप्ताह: 5-दिन के कार्य सप्ताह को जल्द लागू करने की मांग की गई।
- पेंशन अद्यतन: पेंशन अद्यतन के मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की गई।
- नए पेंशन योजना का विरोध: नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के लिए संघर्ष का प्रस्ताव पारित किया गया।
- निजीकरण के खिलाफ संघर्ष: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लिया गया।
- महिला नेतृत्व और सुविधा: महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने, क्रेच सुविधा अनिवार्य करने, और विशेष मामलों में वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने के प्रस्ताव पारित किए गए।
- मीडिया टीम का गठन: AIBOC की उपस्थिति और दृश्यता बढ़ाने के लिए एक मीडिया टीम का गठन करने का प्रस्ताव किया गया।

5. मुख्य वक्ताओं के संबोधन

- श्री एम वी राव: उन्होंने AIBOC की सकारात्मक भूमिका और बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महत्व पर जोर दिया।
- प्रोफेसर टी टी राम मोहन: उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रभावशीलता पर चर्चा की और निजीकरण के खिलाफ ठोस तर्क प्रस्तुत किए।
- कॉमरेड सी एच वेंकटचलम: उन्होंने पेंशन अद्यतन, कार्य-जीवन संतुलन, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कमजोर करने वाली नीतियों के विरोध पर जोर दिया।

6. महासभा के अंतिम दिन की कार्यवाही

- महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन: महासभा ने विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों और संविधान संशोधनों को स्वीकृति दी।
- चुनाव: नए अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ।

7. निष्कर्ष और भावी दिशा

- AIBOC की प्रतिबद्धता: AIBOC ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हितों की रक्षा करने और उनके खिलाफ आने वाली सभी चुनौतियों का मुकाबला करने का संकल्प लिया।
- युवाओं और महिलाओं का समावेशन: संगठन ने युवा और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाने का संकल्प लिया।

पत्राचार

संगठन से संबंधित पत्राचार ओर उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

ASN/2024-25/07/92 DATE:23-07-2024

बैंक कॉलोनी, भिलाई के सेक्टर-8 के भवन संरचना की मरम्मत हेतु आग्रह

कृपया पूर्व में भी सीएनसी एवं एएनसी बैठकों में मुद्दा उठा चुके है, जहां सेक्टर-8 बैंक कॉलोनी, भिलाई की जर्जर भवन संरचना की गंभीरता को उजागर किया था। इस संदर्भ में, ब्लॉक नंबर A1 के भवन के ओवरहेंग की तस्वीरें संलग्न कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि ओवरहैंग के नीचे कोई व्यक्ति नहीं था। अन्य भवनों के लिए भी यही स्थिति बनी हुई है।

अत: अनुरोध है कि भवन संरचना की तुरंत मरम्मत करवाई जाए ताकि भविष्य मे कोई भी दुर्घटना न हो। अन्यथा, इससे बड़ी चोट या जान-माल का नुकसान हो सकता है, जिससे कर्मचारियों के पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ेगा और हमारे प्रिय बैंक की छवि भी खराब हो सकती है।

अत: निवेदन है कि भवन की मरम्मत के लिए उचित कदम तुरंत उठाए जाएं ताकि कॉलोनी के मकानों में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के भय को दूर किया जा सके और उनको सुरक्षित माहौल दिया जा सके एवम बैंककी छवि को बचाया जा सके।

धन्यवाद !

भवदीय,

(संजीव मिश्रा)
महासचिव भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ
भोपाल

ASN/2024-25/07/90 DATED 23-07-2024

शाखा कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कठोर SOP (Standard Operating Procedure) बनाने के संबंध में

व्हमारे संघ की ओर से यह आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत खेद हो रहा है कि हाल ही में हमारी कुछ शाखाओं में अत्यंत गंभीर और निंदनीय घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमे ग्राहकों व बाहरी व्यक्तियों द्वारा शाखा के कर्मचारी एवं अधिकारी से दुर्व्यवहार एवं मारपीट जैसी गंभीर घटनाओ को अंजाम दिया गया। दिनांक 22 जुलाई 2024 को तखतपुर शाखा (ऋक्ष्ह 1, बिलासपुर) में कुछ ग्राहकों द्वारा शाखा प्रबंधक एवं फील्ड ऑफिसर के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी एफआईआर कॉपी संलग्न है। इसी प्रकार की एक अन्य घटना गांधी रोड शाखा दतिया (ऋक्ष्ह 5, शिवपुरी) में घटित हुई, जहां शाखा प्रबंधक के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

हमारे बैंकिंग सेवा क्षेत्र में अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में त्वरित सस्पेंशन की कार्रवाई की जाती है, लेकिन ग्राहकों द्वारा हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, डराने-धमकाने, और मारपीट जैसी घटनाओं को अक्सर अनदेखा किया जा रहा है। यह हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों के मनोबल और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। ऐसी घटनाओं के कारण हमारे अधिकारी और कर्मचारी भय के माहौल में काम करने को मजबूर हैं और उनके परिवारों की सुरक्षा के प्रति भी चिंतित हैं।

ASN/2024-25/07/91 DATED 23-07-2024

अनिवार्य अधिगम (MANDATORY LEARNING) की पूर्ति न करने पर अधिकारियों को दोहरी सजा का अनुचित निर्णय

हम हाल ही में उन अधिकारियों के खिलाफ लिए गए निर्णयों का संदर्भ लेते हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनिवार्य अधिगम की पूर्ति न करने के कारण दोहरे मापदंड अपनाये गये है। इस सन्दर्भ में, निम्नलिखित उदहारण प्रस्तुत कर रहे हैं:-

1. दोहरे दंड का सिद्धांत: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के अनुसार, 'किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।' यह सिद्धांत हमारे संवैधानिक ढांचे में निहित है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कई दंडों का सामना न करना पड़े।
2. पहले से दी गई सजा: जिन अधिकारियों ने 31 जनवरी 2024 तक अपना अनिवार्य अधिगम पूरा नहीं किया, उन्हें पहले ही बैंक ने 5-इन-1 भत्तों से वंचित कर दिया गया है साथ ही CDS में उन्हें 5 नंबर प्राप्त न होने का दंड भी मिल चुका है। इस प्रकार उन्हें स्थानांतरण के रूप में तीसरी सजा देना संविधान के दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन है।
3. सर्किल स्थानांतरण नीति का उल्लंघन: यह निर्णय विशेष रूप से उन अधिकारियों पर कठोर है, जिनकी सेवा समाप्ति के नजदीक है और जिनकी शेष सेवा अवधि दो

ASN/2024-25/07/97 DATE 29-07-2024

HUMAN RESOURCES: WORKING ON SUNDAYS AND HOLIDAYS

With reference to circular No. CO/P&HRD-PM/96/2020-21 dated 26 March 2021 & Corporate Centre letter no HR/CD&S/2022-23/MR/59 Dated 19.08.2022 (photocopies enclosed), it is being observed that circular instructions are being violated in many modules/regions of our circle. Officers are being called to work on Sunday/Holiday on oral instructions without obtaining necessary approval from competent authority which is completely against the extant instructions of the Bank.

In some modules/regions Sunday/Holiday working has become a routine and officials are forced to do so on regular basis which is affecting the health and personal life of the officers.

You would appreciate the fact that violation of the Bank's instructions not only adversely affects the employee well-being, motivation level and productivity but also proves a serious hinderance in achieving the Bank's corporate goals. It also fetches negative publicity to the Bank in social media adversely affecting the Bank's reputation.

We, once again, sincerely request you to review the position in the circle and arrange to Issue suitable instructions to cofirem compliance of SOP as pointed out in Circular under reference.

Your's Sincerely,

(Sanjeev Mishra)

GS, SBIOA Bhopal Circle

enci- as above

ASN/2024-25/08/101 DATE 02-08-2024

STATE BANK OF INDIA OFFICERS ASSOCIATION BHOPAL CIRCLE WORKSHOP FOR DEFENSE COUNSELS/REPRESENTATIVES PERMISSION TO HOLD AT SBILD BHOPAL FROM 08.09.2024 TO 10.09.2024

Apropos above, we have to Inform that SBI Officers Association Bhopal Circle is going to conduct a Training workshop for Defense Counsels/Representatives. Workshop provides several key benefits enhancing officer's ability to effectively represent the case, manage legal and regulatory challenges, reducing the risk of legal issues and penalties & also minimizing disruptions to bank operations.

The Workshop will be addressed conducted by the veteran leaders of All India State Bank Officers Federation Com. Y. Sudarshan, Com. G.D. Nadaf and the office bearers of Federation.

The SBILD Bhopal is a well equipped Centre to conduct such workshop with required Infrastructure, residential accommodation and mess facility.

We, on the backdrop of the above, request your good office to accord your approval to hold the said workshop at SBILD, Bhopal from 08.09.2024 to 10.09.2024 to enable us to proceed for further arrangements along with hostel facility to accommodation around 50 participants. All the expenses involved will be Borne by Association.

Assuring on best of cooperation & industrial relation.

Yours faithfully,

(SANJEEV MISHRA)

GENERAL SECRETARY

ASN/2024-25/103 DATE 08-08-2024

दिव्यांगता से पीड़ित अधिकारियों की ड्यूटी और दिव्यांग आश्रितों की देखभाल करने वाले अधिकारियों की पोस्टिंग/ट्रांसफर के संबंध में

हमें कई अधिकारी साथियों के रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुए है उनकी ड्यूटी/पोस्टिंग/ट्रान्सफर के सन्दर्भ मे अत: Circular No. HR/IR/RKS/860 दिनांक 10 जुलाई 2018 और Circular No. CDO/P&HRD-IR/6{2016- 17 दिनांक 18 अप्रैल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

Circular No. HR/IR/RKS/860 दिनांक 10 जुलाई 2018:

इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिव्यांगता से पीड़ित कर्मचारियों को एटीएम या शाखाओं में नकदी लोड करने जैसी जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख है:

1. जिम्मेदारियों से मुक्त: दिव्यांगता से पीड़ित कर्मचारियों को एटीएम या शाखाओं में नकदी लोड करने जैसी जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाए।
2. देखभाल का ध्यान: ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करते समय उनकी दिव्यांगता की प्रकृति और सीमा का ध्यान रखा जाए।

Circular No. CDO/P&HRD-IR/6/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल 2016:

इस पत्र में 'दिव्यांग' परिभाषा और स्थानांतरण / पोस्टिंग से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

1. स्थानांतरण में छूट: विशेष आवश्यकता वाले आश्रितों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों को नियमित स्थानांतरण / रोटेशनल स्थानांतरण से छूट दी जाए।
2. प्रोमोशन पर स्थानांतरण: प्रोमोशन के समय भी, यदि संभव हो तो, इन कर्मचारियों को उनके मौजूदा स्थान पर रखा जाए। यदि ऐसा संभव न हो तो, उन्हें उनके निकटतम स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।
3. मेडिकल सुविधाएं: स्थानांतरण के समय, इस बात का ध्यान रखा जाए कि जहां पर स्थानांतरण किया जा रहा है, वहां आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हों।

ASN/2024-25/08/108 DATE 25-08-2024

Clarification Regarding Sanction/Disbursement of PM Svanidhi Loans.

With reference to captioned subject, we forward a letter issued by the Regional Manager, Region-1, Jabalpur. The letter states that there are many technical issues in the e-GSS portal and Scale-IV officer can't be checker for the scheme. Because of these issues the Branch Managers of R-1, Jabalpur have been instructed to use services of Accountant or any other officer posted at the Branches for process/sanction of the loans.

We wish to remind that despite our strong protest, similar provision was implemented for xpress credit loan earlier too wherein lots of innocent service managers were charge sheeted due to processing of loans in LOS.

Secondly, Service Managers are already hard pressured and therefore any additional work allotted to accountant/service manager will further overburden them.

Please let us know if all required formalities as per extant instructions of the bank were completed before issuance of such order of loan sanctioning/ processing by accountant or any other officers.

In view of the above, we request you to kindly look into the matter and arrange for resolving the technical issues in the e-GSS portal and if required kindly get necessary amendments done in the portal for making Scale-IV officers checker for the scheme so that single officer Branch Managers can submit the proposal to the Chief Manager (Credit) posted at RBO for sanctioning the loan proposals under PM Svanidhi.

Assuring our best of co-operation and industrial relation.

Regards,

(Sanjeev Mishra)

General Secretary

ASN/2024-25/08/109 DATE 12-08-2024

Request for Response to Pending Letters

We hope this letter finds you in good health. We have represented several important issues and suggestions through our letters.

The attached list includes the details of the letters for which responses are still pending. We sincerely request to expedite the review of these letters and provide us with the necessary responses. This will enable us to finalise our upcoming CNC meeting agenda.

Assuring our best of co-operation & industrial relations.

Thanking you,

Yours sincerely,

[Sanjeev Mishra]

General Secretary,

State Bank of India Officers' Association,

Bhopal Circle

DATE 02-08-2024

मध्य प्रदेश के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में 19 अगस्त 2024 सोमवार को 'रक्षाबंधन' और 26 अगस्त 2024 सोमवार को 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI-ACT) 1881 के तहत् अवकाश घोषित करने बाबत

उपरोक्त विषय में, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश, जिसमें 9 बैंक कर्मचारी-अधिकारी संगठन शामिल हैं और यह बैंकिंग उद्योग मध्य प्रदेश के करीब करीब शत-प्रतिशत बैंक कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता है, आपसे निम्न अनुरोध करता है:-

(1) राज्य के बैंक एवं वित्तीय संस्थानों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित करना राज्य सरकार का विवेकाधिकार है।

(2) मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024 के लिए 'मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 21 दिसंबर 2023' के माध्यम से बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मियों के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत 16 अवकाश घोषित किए हैं, जिसमें 12 अक्टूबर 2024 द्वितीय शनिवार को पड़ने वाला दशहरा त्यौहार एवं 01 अप्रैल 2024 को बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी भी शामिल है। द्वितीय शनितार को बैंकों का अवकाश रहता है। अत: अधिकारियों ने गलती से राजपत्र में इसे भी शामिल कर लिया है तथा 01 अप्रैल 2024 को तार्षिक लेखाबंदी में बैंक कर्मियों को हर हालत में बैंकों में आना पड़ता है। बैंक कर्मियों के लिए वार्षिक लेखाबंदी पर भी अवकाश नहीं है। अत: कुल मिलाकर 14 अवकाश ही बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मियों के लिए घोषित किए गए हैं।

(3) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ अवकाश के मामले में भेदभात किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 23 अवकाश तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मियों को वास्तव में केवल 14 अवकाश ही घोषित किए हैं।

(4) बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 14 अवकाशों की तुलना में अन्य राज्यों सिक्किम सरकार ने 25, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र सरकार ने 23, उत्तराखंड, मेघालय एवं मिजोरम सरकार ने 22 तथा देश के अन्य सभी राज्यों ने मध्य प्रदेश से ज्यादा अतकाश घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों की अपेक्षा कम छुट्टियाँ घोषित कर प्रदेश के बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ भेदभाव किया है, यह समझ से परे है।

(5) मध्य प्रदेश में राज्य सरकार अपनी बहनों के लिए 'लाड़ली लक्ष्मी' एवं 'लाड़ली बहना' जैसी योजनाएँ चला रही है। मध्य प्रदेश सरकार, राज्यकर्मी बहनाओं के लिए रक्षाबंधन की छुट्टी घोषित कर रही है फिर बैंक की बहनाओं के साथ 'रक्षाबंधन' की छुट्टी में भेदभाव क्यों ?

(6) मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए पूर्व में ही 'रक्षाबंधन' और 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' का अवकाश घोषित किया जा चुका है फिर बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए क्यों नहीं?

(7) उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में बैंक कर्मियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए बाद में अलग से रक्षाबंधन के त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।

(8) देश के अन्य राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, जम्मू एण्ड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु आदि में रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहारों पर बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के बैंक कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत् अवकाश घोषित किए हैं फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं?

(9) मध्य प्रदेश में 'रक्षाबंधन' एवं 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' के त्यौहारों कों बड़े ही जोश-खरोश, हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश की जनता, विशेषकर 'बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी एवं अधिकारियों एवं इनमें कार्यरत बहनाओं की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 19 अगस्त 2024 सोमवार को 'रक्षाबंधन' और 26 अगस्त 2024 सोमतार को 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' के पतित्र त्यौहारों पर एन.आई. एक्ट (NI-ACT) के तहत् सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के आदेश प्रदान करें।

सकारात्मक निर्णय की आशा के साथ,

भवदीय

(संजीव मिश्रा)
संयोजक
यूएफबीयू (म.प्र.)
मो.-9425016450

(वी.के. शर्मा)
को-ऑर्डीनेटर
यूएफबीयू (म.प्र.)
मो, 9826031605

प्रतिलिपि ।

1 मुख्य सत्चित, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भतन, भोपाल
2. अपर मुख्य सत्चित, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, तल्लभ भतन, भोपाल
3. संयुक्त संचालक, संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश शासन विध्याचल भवन भोपाल
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति म.प्र., सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, भोपाल
5. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक होशंगाबाद टोड भोपाल

की ओर उत्चित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

ASN/2024-25/09/114 DATED 04-09-2024

श्री सुशील कुमार मुर्मू (पीएफः 4319869), उप प्रबंधक, के निधन के संदर्भ में सहायता हेतु अनुरोध

एसचीआईओए भोपाल की ओर से, आपको अत्यंत्त दु:ख के साथ सूचित करना चाहते है कि श्री सुशील कुमार मुर्मू, उप प्रबंधक (पीएफ संख्याः 4319869), जो विलासपुर के आरबीओ 3 रायगड के पीबीबी शाखा में मेवा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, उनका आज दुखद निधन हो गया है। श्री मुर्मू हाल ही में अपने इलाज के निए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एसयूएम अस्पतान, भुवनेश्वर, ओडिशा में भर्ती थे, जहाँ इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।

इस दुखद परिस्थिति में, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया भुवनेश्वर स्थित मानच संसाधन टीम से संपर्क स्थापित करे, ताकि उनके परिवार को आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जा सके और बैंक की नीति के अनुसार उन्हें मिलने वाली मृत्युोपरांत सुविधाएँ शीघ्न प्रदान की जा सकें। आपकी त्वरित सहायत्ता से उनके परिचार को इस कठिन समय में आवश्यक सहायता प्राप्त हो सकेगी।

आशा है कि शीघ्र ही उचित दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और थी मुर्मू के परिवार को सभी आवश्यक मृत्युोपरांत लाभ और सुविधाएँ यथासमय प्रदान की जाएंगी।

आपके महयोग के लिए धन्यबाद।

सानर,

संजीव मिश्रा
महानचित्र
एसबीआईओए भोपाल

ASN/2024-25/09/113 DATE 02-09-2024

List of Participants for SBI Officery Association Bhopal Circle Defense Counsel Workshop at SBILD Bhopal from 08.09.2024 to 10.09.2024

As per Letter No. 1IR/IR/NM/123 dated 27.08.2024 on the above-mentioned subject, we have identified the officers to attend the workshop. The list of participants is enclosed for your reference.

The workshop will be addressed by veteran leaders of the All India State Bank Officers Federation, including Com. Y. Sudarshan, Com. G.D. Nadaf, Com. A. Sai Prasad, Com. D. Shyamsundar Rao and the office bearers of the Bhopal Circle

We had earlier informed wide our Letter No. ASN/2024-25/08/101, about the accommodation requirement for 30 rooms and food arrangements for 75 persons at SBILD Bhopal, We kindly request you now to make the necessary arrangements for accommodation and food for the participants.

Yours faithfully

Sanjeev Mishra

General Secretary

SBIOA Bhopal

Copy to The DGM&CDO SBI, LHO BHOPAL. For information and necessary action.

Sanjeev Mishra

General Secretary

SBIOA Bhopal

संगठन (SBIOA BHOPAL) की गतिविधियां

एसोसिएशन की वर्तमान स्थिति और गतिविधियों की जानकारी

श्री अनिल श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं श्री संजीव मिश्रा महासचिव SBIOA भोपाल सर्कल की शानदार जानदार लीडरशिप में SBIOA भोपाल सर्कल द्वारा 08 से 10 सितंबर 2024 तक आयोजित तीन दिवसीय "Nature" (National Academy of Trade Union Research and Education) कार्यक्रम अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। AISBOF के सहयोग से आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 से अधिक ऑफिस बियरर और साथी शामिल हुए, जिनमें मुख्य अतिथि DGM CDO श्री अश्विनी कुमार, विशेष अतिथि DGM Vigilance श्री सुधांशु शेखर दास, AGM SBILD सुश्री तुलिका टंडन, और AISBOF के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री वाई. सुदर्शन, श्री जी. डी. नडाफ, श्री डी. एस. राव, और श्री ए. साई प्रसाद ने मेंटर और प्रशिक्षक के रूप में कार्यशाला में सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

प्रशिक्षण से होने वाले लाभ:

1. कुशल और अद्यतन कर्मचारी: इस प्रशिक्षण से बैंकिंग क्षेत्र के नवीनतम नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं की गहन जानकारी प्राप्त हुई, जिससे ऑफिस बियरर और साथी बेहतर निर्णय ले सकेंगे और बैंक के संचालन में सुधार होगा।

2. नेतृत्व और प्रबंधन कौशल में वृद्धि: नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक दक्षता में सुधार, जिससे ऑफिस बियरर अपने सहकर्मियों का सही मार्गदर्शन कर सकेंगे और बैंक की उत्पादकता बढ़ेगी।

3. नैतिकता और सतर्कता का पालन: बैंकिंग अनुशासन और सतर्कता की प्रक्रिया पर विशेष जागरूकता बढ़ी, जिससे बैंक के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इससे बैंक की साख और विश्वसनीयता को मजबूती मिलेगी।

4. डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका: ऑफिस बियरर अब डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका भी पूरी क्षमता से निभा सकेंगे, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुवे अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का उचित और समय पर निपटान हो सकेगा।

5. समूह सहयोग और टीमवर्क: प्रशिक्षण ने साथियों के बीच सहयोग और समन्वय की भावना को मजबूत किया, जिससे संगठनात्मक एकता और बेहतर कार्य संस्कृति का विकास होगा।

6. जोखिम प्रबंधन में सुधार: बैंकिंग क्षेत्र में आने वाले संभावित जोखिमों के प्रबंधन के लिए बेहतर जागरूकता जिससे बैंक की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

यह "Nature" कार्यक्रम SBIOA की समर्पण भावना और संगठनात्मक एकता का प्रतीक है। इस प्रशिक्षण ने हमें न केवल बैंकिंग ज्ञान मे सशक्त बनाया है, बल्कि हमारी नेतृत्व क्षमताओं को भी निखारा है। इसके साथ ही, बैंक और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हम सभी साथ मिलकर बैंक और अपने साथियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बना सकते हैं।

साख समिति की गतिविधियां

सोसायटी से संबंधित समाचार और विकास की जानकारी

एसबीआई अधिकारी सहकारी साख समिति की 44वीं एजीएम का आयोजन (20.07.2024)

20 जुलाई 2024 को एसबीआई अधिकारी सहकारी साख समिति की 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक सदस्यों ने भाग लेकर इसे अत्यधिक सफल बनाया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता सोसाइटी के अध्यक्ष श्री सुरेश बाबू मीना ने की, और सभी डायरेक्टर्स ने सोसाइटी की बैलेंस शीट सहित विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

बैठक के प्रमुख बिंदु:

1. **वित्तीय सहायता योजना:**
   - साथियों के अकस्मात निधन पर उनके परिवार को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना को सभी सदस्यों ने सराहा, जिससे सोसाइटी के प्रति उनके विश्वास और बढ़ा।
2. **लोन राशि में वृद्धि:**
   - सदस्यों की सहमति से लोन की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पास हुवा। यह निर्णय सभी के लिए लाभकारी साबित होगा, और इससे सदस्यों को अधिक वित्तीय समर्थन मिलेगा।
3. **अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां:**
   - सोसाइटी के अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों, योजनाओं और उनके द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिससे सदस्यों को उनकी भलाई के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों की जानकारी मिली।

उर्जावान संदेश:

"एकजुटता में ही शक्ति है, और यह सहकारी साख समिति इसका सजीव प्रमाण है। साथ मिलकर हम न केवल अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की ओर भी अग्रसर हैं। समर्पण और सहयोग की इस भावना को हम सदैव बनाए रखें, क्योंकि यही सच्ची प्रगति का मार्ग है।"

इस एजीएम ने सभी सदस्यों को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दिया है, जिससे वे भविष्य में भी एकजुट होकर सोसाइटी के विकास में अपना योगदान देंगे।

स्कूल के बारे में जाने

स्कूल से संबंधित ताज़ा जानकारी और घटनाएं।

बैंक ऑफीसर पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल, भोपाल: सपनों की उड़ान का प्रतीक

"जहाँ शिक्षा है, वहाँ सशक्तिकरण है।
जहाँ जुनून है, वहाँ कोई मंजिल दूर नहीं।"

बैंक ऑफीसर पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल, भोपाल, 1990 से शिक्षा की ज्योति जलाए हुए, विद्यार्थियों को सफलता की ओर अग्रसर कर रहा है। इस विद्यालय की स्थापना अधिकारी शिक्षा समिति और SBIOA के अधिकारी साथियों के प्रेरणादायक नेतृत्व में हुई थी, जिसकी शुरुआत नर्सरी और केजी वन के 2 विद्यार्थियों से हुई थी। आज यह विद्यालय नर्सरी से 12वीं कक्षा तक 719 विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के क्षेत्र शामिल हैं।

यहाँ हर विद्यार्थी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प लेकर आता है और "उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयास" के मंत्र के साथ आगे बढ़ता है। चाहे शिक्षा हो या खेल, इस विद्यालय ने हमेशा से उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं और अपने विद्यार्थियों को "असाधारण बनने" की प्रेरणा दी है। हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और शिक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर, विद्यालय और प्रदेश का मान बढ़ाया है।

इस स्कूल के पूर्व छात्र आज देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे इंडियन मिलिट्री, IMA, IRS, MS, MD, MBBS, सिविल इंजीनियरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एमपी पुलिस आदि में। यह विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था है जहाँ से भविष्य के नेता और समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं।

बैंक ऑफीसर पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल, भोपाल, हर विद्यार्थी को अपने सपनों को पंख देने और जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी अपने नाम के साथ-साथ इस विद्यालय का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं, यह सिद्ध करते हुए कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती, बस उसे पाने का जज़्बा होना चाहिए।

SBIOA भोपाल सर्कल, अधिकारी साख समिति एवं SBIOA द्वारा संचालित स्कूल की विभिन्न गतिविधियों की कुछ झलकियां:

एसबीआईओए भोपाल सर्कल की डायरी के वितरण की कुछ झलकियाँ

19/07/2024 को 55वां बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस:

- AIBOC मध्य प्रदेश इकाई द्वारा वृक्षारोपण किया गया।
- AIBOC छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा वृक्षारोपण और स्कूल में कुर्सियों का दान किया गया।

CHATTISGARH STATE UNIT
BANK NATIONALIZATION
19th JULY 2024

प्रत्येक माह की अंतिम तिथि:

- सेवा निवृत्त होने वाले साथियों को शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाता है।
- इस समारोह की कुछ झलकियां।

प्रतिदिन जन्मदिन की शुभकामनाएं:

- प्रत्येक दिन जन्मदिन मनाने वाले साथियों को शुभकामनाएं दी जाती हैं और उन्हें मोमेंटो प्रदान किया जाता है।
- इस प्रक्रिया की कुछ झलकियां।

सुप वॉइस पत्रिका का पुन: शुभारंभ:

- ऑल इंडिया स्टेट बैंक फेडरेशन के लीडर कॉमरेड दीपक शर्मा की उपस्थिति में सर्कल एवं मॉड्यूल पदाधिकारियों द्वारा "सुप वॉइस" पत्रिका की पुन: शुरुआत की गई।

- इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां।

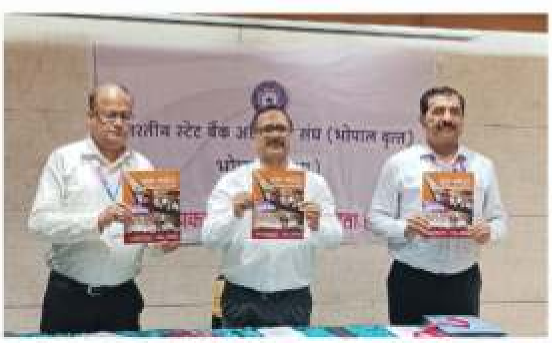

सोसाइटी की एजीएम (20/07/2024):

- AGM में 500 से अधिक साथियों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।
- AGM की कुछ झलकियां।

44 वीं वार्षिक आम सभा - 2024
स्वागतम

समिति मर्यादित
2024

44 वीं वार्षिक आम सभा - 2024
स्वागतम

15/08/2024 स्वतंत्रता दिवस समारोह:

- अधिकारी संघ द्वारा संचालित स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
- विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए।
- इस उत्सव की कुछ झलकियां।

BOSS

AISBOF की बैठक (16/08/2024 से 17/08/2024):

- अधिकारी संघ, भोपाल टीम द्वारा AISBOF की बैठक में भाग लिया गया।
- इस बैठक की झलकियां।

EC MEETING OF THE
EXECUTIVE COMMITTEE OF

EC MEETING OF THE
EXECUTIVE COMMITTEE OF

05/09/2024 शिक्षक दिवस समारोह:

- स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
- इस कार्यक्रम की झलकियां।

NATURE कार्यक्रम (08/09/2024 से 10/09/2024):

- NATURE कार्यक्रम के तहत साथियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुछ झलकियां।

A - शाखाओं में दुर्व्यवहार के संबंध में:

- AIBOC और SBIOA के सम्मिलित प्रयास से मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में स्टेट गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर उचित कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा गया।

बिलासपुर • रविवार • 28.07.2024 5
navabharat.news

बैंक अधिकारियों से मारपीट के विरोध में सड़क पर उतरे बैंकर्स

कैंडल मार्च करते हुए मौन विरोध रैली निकाली

नवभारत रिपोर्टर । बिलासपुर।

स्टेट बैंक तखतपुर शाखा के फील्ड ऑफिसर प्रेम जायसवाल एवं मैनेजर अंकित लाल के साथ तीन बैंक डिफॉल्टरों द्वारा शराब पीकर बैंक परिसर में गालियां देकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी, साथ ही हुए झूठे आरोप में फंसाने तथा परिवार जनों को भी देख लेने चेतावनी देना निंदनीय कृत्य है। इसके विरोध में बैंकर्स आज सड़क पर उतरे। आईबॉक बिलासपुर ने आज शाम नेहरू चौक पर कैंडल मार्च निकाल कर जिला प्रशासन से मांग की है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाते हुए बैंकर्स को पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाया जाए, अन्यथा बैंकर्स का मनोबल गिरने से शासन की स्कीमों के अनुपालन में विलंब हो सकता है। आईबॉक के राष्ट्रीय सहसचिव व छत्तीसगढ़ के महासचिव वाय गोपालकृष्ण, कोषाध्यक्ष निलेश कुमार मंडावी के बताया कि जैसे सरहद पर फौज देश की रक्षा करती है, वैसे ही हम वित्तीय सैनिक देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के आधार स्तम्भ हैं। अतः बैंकर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाते हुए हमें विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए। आईबॉक छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी दामोदर हेमरम, दिलीप सिंहा, मेलुराम कर्मवीर, गजानन राठौर, शरद बघेल, आनंद कुमार, ओमी वर्मा, अवनीश पांडेय, जितेंद्र शुक्ला पेंशनर्स संघ के जमील अहमद के नेतृत्व बड़ी संख्या में बैंकर्स नेहरू चौक से जिलाधीश कार्यालय तक कैंडल मार्च करते हुए मौन विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। इनका कहना है कि अनुमति लेकर मौन रैली निकालने पर भी पुलिस कर्मियों का कठोर रवैया हैरान करने वाला है जिसकी शिकायत उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा करने का निर्णय लिया है।

B - रक्षाबंधन एवं कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां:

- AIBOC और SBIOA के प्रयासों से प्रशासन से निवेदन किया गया कि रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी पर NI एक्ट के तहत छुट्टियां घोषित की जाएं।

- इन प्रयासों की कुछ झलकियां।

ANC एवं CNC मीटिंग की झलकियां:

•ANC और CNC बैठकों में हुई चर्चा और गतिविधियों की कुछ झलकियां प्रस्तुत की गईं।

SBI
A.O. BILASPUR

SBI

SBI

SBI
A.O. BILASPUR

SBIOA स्कूल की आधुनिकता:

- SBIOA का स्कूल आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। विभिन्न तकनीकी और शैक्षिक सुधारों के माध्यम से स्कूल में प्रगति हो रही है।
- इस उन्नति की कुछ झलकियां।

साथियों की कलम से

वह बचपन फिर जीना चाहूँ

यह मेरी बड़ी तमन्ना थी
मैं चूम आऊँ अपनी मिट्टी
फिर देख आऊँ अपना बचपन
जिसे याद हमेशा करता मन

बिन कहे किसी को चल निकला
जिस घर में था बचपन निकला
जो हरा भरा था एक चमन
उस भू को जाकर करूँ नमन

वो सखा मिलेंगे आज हमें
फिर बचपन के दिन याद करें
वो देख मुझे हर्षित होंगे
क्या सभी वहाँ परिचित होंगे?

मन में मेरे उठ रही कसक
घर थोड़ी दूर बचा था बस
फिर दिखा मोड़ घर जाने का
बचपन को गले लगाने का

मैं बचपन का इतिहास लिये
जितना भी किया विकास लिये
अब पहुँच चुका था अपने घर
मैं जाकर देखूं इधर उधर

घर देख मुझे पहचान गया
चप्पा चप्पा सब जान गया
वह देख मुझे हेरत में था
मैं इतने रोज कहाँ पे था

मैं बाट जोहता हूँ तेरी
क्या तुझको याद नहीं मेरी
तू नाम कमा पर भूल नहीं
मैं कोई माटी धूल नहीं

ये देख यही है छत तेरा
इस पर है तू कितना सोया
ये पेड़ अभी भी वैसे हैं
माँ की ममता के जैसे हैं

ये वही झरोखे हैं जिन पर
खेला करता था तू दिन भर
जब साँझ जो होने आती थी
माँ चूल्हा यहीं जलाती थी

मैं बोला अब रुक जाओ तुम
कुछ पूछूँगा बतलाओ तुम
ये सड़क अभी जो बनी हुयी
पहले थी छोटी एक गली

दो पेड़ नीम के थे प्यारे
जिस पर हमने झूले डाले
कितना विकास हो गया यहाँ
अब बिजली भी आ गयी यहाँ

पर मेरी उन गलियों का क्या
और मेरी स्मृतियों का क्या
वह मेरी प्यारी नहर कहाँ
अब झूला डालूँ कहो कहाँ

हमें तो एक दिन जाना था
जग में कुछ नाम कमाना था
पर तुझसे कब मैं जुदा हुआ
तू रग रग में है बसा हुआ

मैं जाता नहीं तो क्या करता
कैसे जीवन यापन करता
पर जहाँ कहीं भी जाऊँगा
पहचाना तुझसे जाऊँगा

घर बोला आओ फिर खेलें
बगिया में फूलों को तोडें
कुछ खेल खेलते हैं मिलके
चल मौज मानते हैं मिलके

तू ऐसे ही आ जाया कर
कुछ रातें यहाँ बिताया कर
कितना कुछ बदल गया मुझमें
पर यादें बची रहीं मुझमें

मैं तो हर पल आना चाहूँ
इस आंगन में सोना चाहूँ
पर काश कि ऐसा कर पाता
फिर से बचपन को जी पाता

मैं फिर से इन्ही पहाड़ों पर
झीलों के उन्हीं किनारों पर
हर साँझ बिताना मैं चाहूँ
मैं तुझमें ही रहना चाहूँ

पर किस्मत ने कुछ और लिखा
उत्तम जीवन के स्वप्न दिखा
ले गई दूर मुझको घर से
अब लौट न पाऊँगा फिर से

मैं लेकर अपना भरा हृदय
मैं फिर से छोड़ रहा था घर
मेरे अन्दर कुछ टूट रहा
फिर बचपन मेरा छूट रहा

❑ **जय पी. वर्मा**

जागरूकता

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के उपाय:

1. **नियमित व्यायाम:**
   - ❒ रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, जैसे कि योग, दौड़ना, साइक्लिंग, या तैराकी।
2. **संतुलित आहार:**
   - ❒ अपने भोजन में हरी सब्जियों, फलों, अनाज, और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें।
   - ❒ तले-भुने और अधिक शर्करा वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
3. **पर्याप्त नींद:**
   - ❒ हर रात 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें, जिससे शरीर को पूर्ण विश्राम और ऊर्जा प्राप्त हो सके।
4. **तनाव प्रबंधन:**
   - ❒ ध्यान, योग, और गहरी साँस लेने की तकनीकों का अभ्यास करके तनाव को नियंत्रित करें।
5. **पानी का सेवन:**
   - ❒ रोजाना 8-10 गिलास पानी पिएं, जिससे शरीर में जल संतुलन बना रहे और डिटॉक्सिफिकेशन हो सके।
6. **नियमित स्वास्थ्य जांच:**
   - ❒ समय-समय पर चिकित्सकीय जांच कराएं, ताकि किसी भी बीमारी का पता समय पर चल सके।
7. **स्वच्छता का ध्यान:**
   - ❒ व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, जैसे कि नियमित रूप से हाथ धोना और साफ-सफाई का ध्यान रखना।
8. **धूम्रपान और शराब से परहेज:**
   - ❒ धूम्रपान, शराब, और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहें, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
9. **सकारात्मक सोच:**
   - ❒ मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।
10. **समय पर भोजन:**
    - ❒ नियमित और समय पर भोजन करें, जिससे पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य कर सके।